

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-१ / पी०सी०आर०(विविध / प्र०प्र०)०९-१० / २०११-

५९

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 13.10.16

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 तथा अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2007 के प्रावधानों के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, विभागीय योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन हेतु कुल ₹87,50,000/- (सतासी लाख पचास हजार रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-35 दिनांक-23.08.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 तथा अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2007 के प्रावधानों के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, विभागीय योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन हेतु कुल ₹90,00,000/- (नब्बे लाख रु०) मात्र की स्वीकृति दी गई है। उक्त स्वीकृति आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹87,50,000/- (सतासी लाख पचास हजार रु०) मात्र की राशि जिलों को आवंटित किया जाता है।

2- आवंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद में मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- उप मुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन-उप शीर्ष-0101-निदेशन और प्रशासन-मांग सं०-44-विषय शीर्ष-2601-विज्ञापन और प्रकाशन" विपत्र कोड पी०-2225010010101 (राज्य योजना स्कीम कोड-SST- 5457) के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3- आवंटित राशि से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 तथा अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2007 के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, कार्यशाला का आयोजन तथा पोस्टर/पम्पलेट इत्यादि पर व्यय किया जाएगा। इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक 17-4-98 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5- इस योजना के तहत वित्तीय नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाएगा।


6- इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

7- इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-03-2017 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

8- आवंटित राशि योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।

9- इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

विश्वासभाजन



(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09-10/2011- 49 दिनांक- 13.10.16
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0
जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास
आयुक्त/सभी संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण/प्रशाखा पदाधिकारी-3डी0, 4डी0, एवं 6डी0
/सांख्यिकी शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा/बजट
शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09-10/2011- 49 दिनांक- 13.10.16
प्रतिलिपि- सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09-10/2011- 49 दिनांक- 13.10.16
प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेब
साईट (Web site) पर जारी करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/10/16
W

सरकार के सचिव।
13.10.16

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
विवरणी--

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 तथा अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2007 के प्रावधानों के पुस्तक का प्रकाशन वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, विभागीय योजनाओं की हरत पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, हार्डवेयर लगाने, नूतनकद भाटको जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन हेतु कुल ₹87,50,000/- (सत्तारसी लाख पचास हजार रु०) मात्र का आवंटन।

राशि ₹ लाख

क्र०	जिला का नाम	कुल आवंटित राशि
1	2	3
1	पटना	5.50
2	नालंदा	3.00
3	रोहतास	2.00
4	भभुआ	2.00
5	भोजपुर	2.00
6	वक्सर	1.50
7	गया	5.00
8	जहानाबाद	2.00
9	अरवल	1.00
10	नवादा	2.00
11	औरंगाबाद	2.00
12	सारण	3.00
13	सिवान	2.00
14	गोपालगंज	2.00
15	मुजफ्फरपुर	4.00
16	सीतामढ़ी	1.50
17	शिवहर	1.00
18	प० चम्पारण	2.00
19	पू० चम्पारण	2.00
20	वैशाली	2.00
21	दरभंगा	4.00
22	मधुबनी	2.00
23	समस्तीपुर	2.00
24	राहरसा	2.00
25	सुपौल	1.50
26	मधेपुरा	1.50
27	पूर्णिया	5.00
28	अररिया	1.50
29	किशनगंज	1.50
30	कटिहार	2.00
31	भामलपुर	4.00
32	बौका	1.50
33	मुंगेर	4.00
34	लखीसराय	1.50
35	शंखपुरा	1.50
36	जमुई	1.50
37	खगडिया	1.50
38	वेगुसराय	1.50
	कुल योग	87.50

कुल सत्तारसी लाख पचास हजार रु० मात्र

पत्रांक दिनांक का अनुलग्नक ।